शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, बिहार

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, वर्ष 1860 के अंतर्गत

निबंधन क्र० 147, वर्ष 1977-78

स्मृति पत्र एवं नियमावली

प्रकाशक :
शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, बिहार
कदमकुआँ, पटना–3

नाम–इस संस्था का नाम "शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, बिहार" होगा । इसका मुख्य कार्यालय पटना में होगा तथा इसका कार्य क्षेत्र बिहार प्रांत रहेगा । इस संस्था का उद्देश्य निम्नांकित होगा ।

(क) स्थान-स्थान पर ऐसे सरस्वती शिशु मंदिर एवं सरस्वती विद्या मंदिर चलाना जिनमें प्रारंभिक शिक्षा द्वारा शिशुओं के जीवन का विकास भारतीय संस्कृति, धर्म, आचार पद्धति व आदर्शों के आधार पर किया जा सके । ऐसे संचालित विद्यालयों के लिए प्रबंध समिति व उनके संवैधानिक नियुक्त करना ।

(ख) चल रही शिशु शिक्षण संस्थानों को संलग्न करके उसका योग्य मार्ग दर्शन एवं नियंत्रण करना ।

(ग) भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों के अनुरूप तथा शिशु शिक्षा के उपयुक्त आधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए शिक्षा का विकास करना तथा ऐसे सभी कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो ।

प्रबन्धकारिणी समिति के उन सदस्यों के नाम, पते तथा व्यवसाय जिन पर संस्था के नियमानुसार संचालन का दायित्व सौंपा गया है ।

क्रम	नाम एवं पता	दायित्व	व्यवसाय
*	डा0 राजमणि प्रसाद सिन्हा	संरक्षक	अवकाशप्राप्त प्राध्यापक
1.	डा0 सुनील अग्रवाल	अध्यक्ष	चिकित्सक, पटना
2.	डा0 नंद किशोर पाण्डेय	उपाध्यक्ष	प्राध्यापक
3.	श्री ख्याली सिंह	संगठन मंत्री	समाज सेवा
4.	श्री भरत पूर्वे	मंत्री	अवकाशप्राप्त अभियंता
5.	श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा	सचिव	समाज सेवा, पटना
6.	श्री दिवाकर प्रसाद	कोषाध्यक्ष	शिक्षाविद, पटना
7.	श्री हिमांशु कुमार वर्मा	सदस्य	समाज सेवा, राँची
8.	श्री रमेंद्र राय	सदस्य	समाज सेवा, पटना

09. श्री रमेश चंद्र	सदस्य	शिक्षाविद, पटना
10. श्री हृदयानन्द सिंह	सदस्य	अवकाशप्राप्त शाखा प्रबंधक, बक्सर
11. श्री निर्मल जालान	सदस्य	समाज सेवा, मुंगेर
12. डा0 किरण शरण	सदस्य	चिकित्सक, पटना
13. श्रीमती उत्तरा सिंह	सदस्य	समाज सेवा, पटना
14. प्रो0 समीर कु0 शर्मा	सदस्य	प्राध्यापक, पटना
15. डा0 मुरारी शरण मांगलिक	सदस्य	प्राध्यापक, पटना
16. श्री विनोद तोदी	सदस्य	व्यवसायी, पटना
17. श्री राणा प्रताप सिंह	आ०सदस्य	समाज सेवा, पटना

हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 पी० डी० की धारा 21 के अन्तर्गत एक संस्था के रूप में संगठित होना चाहते हैं।

	पद का नाम	व्यवसाय	हस्ताक्षर
1.	श्री प्यारे लाल चोपड़ा चोपड़ा इलेक्ट्रिकल्स, मेन रोड, राँची	व्यवसाय	
2.	श्रीमती वीणा श्रीवास्तव प्रो०, मगध महिला कॉलेज, पटना	नौकरी	
3.	डा० देवी प्रसाद वर्मा प्रो०, साइंस कॉलेज, पटना	नौकरी	
4.	श्री विजय प्रकाश गुप्त सी० डी० 751, सेक्टर-2, धुर्वा, राँची	नौकरी	
5.	श्री शंभू प्रसाद अधिवक्ता, बाकरगंज, पटना	वकालत	
6.	श्री गोविन्द पुरुषोत्तम सगदेव विजय निकेतन, पटना-3	सामाजिक कार्यकर्ता	
7.	श्री जगत नन्दन प्रसाद रोहतास इण्डस्ट्रीज, पो०-डालटेनगंज	नौकरी	

नियमावली

1. संस्था का नाम :

संस्था का नाम "शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, बिहार" होगा।

2. सदस्य :

(क) संरक्षक सदस्य

(ख) संस्थापक सदस्य

(ग) साधारण सदस्य

(घ) विशिष्ट सदस्य

(क) 1. जो व्यक्ति संस्था को सहायता के रूप में एक ही बार में कम-से-कम 10,000 रु० सदस्यता शुल्क के रूप में देंगे, वे संरक्षक सदस्य कहलाएँगे। ये आजीवन सदस्य होंगे।

2. प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयानुसार जो व्यक्ति संस्था को भूमि एवं भवन दान स्वरूप देते हैं, वे संरक्षक सदस्य बनाए जा सकते हैं।

(ख) संस्था की स्थापना के समय हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति संस्थापक सदस्य कहलाएँगे। उन्हें प्रति वर्ष शिशु शिक्षा प्रबंध समिति को सहायतार्थ 25 रु० देने होंगे। वे सदस्य तो आजीवन ही माने जाएँगे परन्तु शुल्क प्राप्त नहीं होने पर वे प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य बनने के अधिकारी नहीं हो सकेंगे। संस्थापक सदस्य सर्वसम्मति से अपनी संख्या वृद्धि ग्यारह तक कर सकते हैं।

(ग) प्रबंधकारिणी समिति के निर्णयानुसार कोई भी व्यक्ति 21 रु० वार्षिक शुल्क देने पर साधारण सदस्य माना जाएगा।

(घ) संस्थापक सदस्य किन्हीं दो व्यक्तियों को उनकी विशेष प्रतिभा एवं सामाजिक सेवाओं के आधार पर विशिष्ट सदस्य के रूप में अपनी समिति में सम्मिलित कर सकते हैं। इनका कार्यकाल कार्यकारिणी के कार्यकाल तक रहेगा।

3. सदस्यता की समाप्ति :

(क) मृत्यु होने पर।

(ख) संस्था के लिए हानिकारक कार्य करने पर प्रबंधकारिणी समिति के 2/3 सदस्य यदि अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देंगे।

(ग) त्यागपत्र स्वीकृत होने पर।

(घ) दिवालिया या पागल घोषित किए जाने पर।

(ङ) किसी अनैतिक अपराध में कारावास का दंड पाने पर।

(च) निरंतर चार बैठकों में बिना पूर्व सूचना दिए अनुपस्थित होने पर, परन्तु यह नियम विशिष्ट सदस्यों पर लागू न होगा।

4. समितियाँ :

कार्य संचालन के लिए निम्नलिखित दो समितियाँ होंगी।

(क) साधारण समिति (ख) प्रबंधकारिणी समिति

5. साधारण समिति का गठन :

धारा 2 में वर्णित सभी श्रेणियों के सदस्य माने जाएँगे परंतु दो-दो मास से कम अवधि के सदस्य बैठकों में किसी भी प्रस्ताव पर मतदान नहीं कर सकेंगे।

(क) प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व नवीन प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन धारा 7 के अनुसार करना।

(ख) गत वर्ष का आय-व्यय, आगामी वर्ष का बजट तथा वार्षिक विवरण स्वीकृत करना।

(ग) अंकेक्षक की नियुक्ति करना।

7. प्रबंधकारिणी समिति का गठन :

(क) ग्यारह सदस्यों की प्रबंधकारिणी समिति निम्नलिखित प्रकार से गठित की जाएगी। इसका कार्यकाल जनवरी से दिसंबर तक 3 वर्ष का होगा।

1. संस्थापक सदस्यों में से 6 प्रतिनिधि। निर्वाचन में वे ही सदस्य भाग लेंगे जिनका सदस्यता शुल्क जून तक जमा हो चुका है।

2. संरक्षक सदस्यों में से 1 प्रतिनिधि।

3. साधारण सदस्यों के 2 प्रतिनिधि।

4. संस्थापक सदस्यों द्वारा मनोनीत दो विशिष्ट सदस्य।

(ख) प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल पूरा होने के पूर्व नवीन प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन होगा। सभी श्रेणियों के सदस्य अपनी-अपनी श्रेणी में अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे।

(ग) प्रबंधकारिणी समिति के कार्यकाल के बीच में यदि कोई स्थान रिक्त हो गया हो तो शेष अवधि के लिए स्थान की पूर्ति संस्थापक सदस्यों के सामूहिक निर्णय द्वारा उनका एक अन्य प्रतिनिधि करेगा।

8. प्रबंधकारिणी समिति के कार्य एवं दायित्व :

(क) कार्य संचालन के लिए प्रबंधकारिणी समिति प्रत्येक 3 वर्षों के उपरान्त निम्नलिखित पदाधिकारियों का निर्वाचन करेगी। ये ही साधारण समिति के भी पदाधिकारी होंगे।

1. अध्यक्ष, 2. कार्यकारी अध्यक्ष, 3. उपाध्यक्ष, 4. मंत्री, 5. संगठन मंत्री, 6. सह मंत्री, 7. कोषाध्यक्ष।

(ख) व्यवस्था एवं सहायता की दृष्टि से प्रबंधकारिणी समिति विविध नियमों, समितियों व उपसमितियों का निर्माण कर सकती है तथा जो अधिकार उपयुक्त समझे उन्हें दे सकती है।

(ग) प्रदेश की अन्य शिक्षण संस्थाओं को संलग्न करने का तथा बिहार प्रांत में उचित स्थानों पर नये शिक्षण संस्थान चलाने का अधिकार उसे होगा।

(घ) इस संस्था का कार्यक्षेत्र फैलाने हेतु तीन श्रेणियों के विद्यालयों को चलाया जाएगा। ये श्रेणियाँ निम्नांकित होंगी।

1. निर्देशित विद्यालय, 2. संलग्न विद्यालय, 3. संचालित विद्यालय।

(ङ) यह समिति शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता आदि के नियमों व उपनियमों का निर्माण करेगी।

(च) यह समिति अपने पदाधिकारियों का दायित्व स्वयं निर्धारित करती रहेगी।

9. गणपूरक :

साधारण समिति के लिए गणपूरक समिति का 2/3वाँ भाग तथा प्रबंधकारिणी समिति का गणपूरक 5 होगा। स्थगित बैठकों के लिए यह नए विचारणीय विषय नहीं जोड़ गए हैं तो गणपूरक की आवश्यकता नहीं होगी।

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. **अध्यक्ष**—(क) शिशु शिक्षा प्रबंध समिति बिहार का यह प्रमुख होगा। संस्था की साधारण समिति एवं प्रबंधकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ख) समान मत विभाजन होने पर अपना एक अतिरिक्त मत प्रदान करेगा।

(ग) 2/3 सदस्यों की लिखित माँग पर समिति की बैठक बुलाएगा।

(घ) आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष अपने सहयोग के लिए प्रबंधकारिणी समिति की राय लेकर कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है तथा अपने अधिकारों में से जो उचित समझे उन्हें सौंप सकता है।

2. **कार्यकारी अध्यक्ष**—शिशु शिक्षा प्रबंध समिति के समस्त कार्यों में अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा।

3. **उपाध्यक्ष**—अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके दायित्वों को वहन करेगा।

4. **मंत्री**—(क) संस्था से संबद्ध सभी शिक्षण संस्थाओं का संचालन, निरीक्षण एवं नियंत्रण करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर उन संस्थाओं के लिए तदर्थ समितियों को नियुक्त करेगा।

(ख) प्रबंधकारिणी समिति की वर्ष में कम से कम 2 बैठकों का आयोजन करेगा तथा समिति को अपनी गतिविधि से अवगत कराते हुए समिति द्वारा किए गए कार्यों की संपुष्टि कराता रहेगा।

(ग) वर्ष में कम से कम एक बैठक साधारण समिति की बुलाएगा।

५. **संगठन मंत्री**–संस्था के संगठनात्मक कार्यों की देखरेख करेगा तथा इस दृष्टि से आवश्यक संसाधन जुटाना एवं व्यक्तियों को नियोजित करना इसका प्रमुख कार्य होगा।

६. **सह मंत्री**–मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री का दायित्व संभालेगा।

७. **कोषाध्यक्ष**–(क) शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, बिहार का आय-व्यय लेखा रखेगा तथा वार्षिक बैठक में प्रस्तुत करेगा ।

(ख) कोष, सदस्यता कोष, दान अथवा अन्य प्रकार की सहायता ग्रहण करेगा ।

११. **आय और संपत्ति :**

आय और संपत्ति का उपयोग संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति पर किये जाने वाले व्यय, भवन निर्माण, भवन सुरक्षा तथा संस्था संबंधी अन्य विकास कार्यों के लिए किया जाएगा ।

१२. **आय के स्रोत :**

(क) सदस्यता शुल्क (ख) चंदा एवं दान

(ग) सरकारी अनुदान एवं ऋण (घ) अन्य वैध स्रोत

१३. **आय-व्यय का निरीक्षण :**

(क) प्रबंधकारिणी समिति के अनुसार सारा कोष किसी स्थानीय बैंक में जमा होगा।

(ख) कोष संस्था के नाम से होगा तथा मंत्री, कोषाध्यक्ष एवं किसी एक सदस्य में से किन्हीं दो के हस्ताक्षरों पर ही निकाला जा सकेगा। अन्य विविध कोषों का खाता खोलने के लिए इसमें संशोधन प्रबंधकारिणी समिति द्वारा किया जा सकेगा। परन्तु तीन नाम रहना आवश्यक है ।

(ग) सम्पूर्ण आय-व्यय की साधारण समिति द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाएगा ।

१४. **अचल सम्पत्ति :**

संस्था की अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय अथवा हस्तांतरण अध्यक्ष व मंत्री दोनों के हस्ताक्षरों द्वारा ही हो सकेगा ।

१५. **न्यायालय संबंधी कार्यवाही :**

संस्था के कार्य में कोई न्यायालय संबंधी रूकावट आने पर मंत्री के द्वारा न्यायालय में समिति का प्रतिनिधित्व किया जाएगा ।

१६. **पंजी व्यवस्था :**

संस्था की सदस्य पंजी, लेखा पंजी तथा कार्यवाही पंजी संस्था के निबंधित कार्यालय में रखी जाएगी जहाँ मंत्री की अनुमति से कोई सदस्य निरीक्षण कर सकते हैं ।

१७. **नियमावली में संशोधन :**

उपरोक्त नियमावली में कोई भी संशोधन साधारण समिति के ३/४ मतों से किया जा सकेगा ।

१८. **संस्था का विघटन एवं विघटनोपरांत सम्पत्ति की व्यवस्था :**

(क) अगर किसी कारणवश संस्था का विघटन करना पड़े तो विघटन साधारण समिति के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।

(ख) विघटनोपरांत संस्था की सारी चल एवं अचल सम्पत्ति जो ऋण इत्यादि भुगतान करने के बाद बचेगी, वह संस्था के सदस्यों या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जाएगी। किसी समान उद्देश्य वाली दूसरी संस्था या सरकार को साधारण समिति के सदस्यों की सहमति से दे दी जाएगी।

१९. **अन्यान्य कार्य :**

संस्था के अन्यान्य कार्य जिनका उल्लेख इस नियमावली में नहीं हो सका है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

प्रमाणित किया जाता है कि यह शिशु शिक्षा प्रबंध समिति, बिहार की नियमावली की सत्य प्रतिलिपि है ।

हस्ताक्षर

प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य

★ दिनांक 19.04.87 की आमसभा की बैठक के निर्णयानुसार संशोधित ।